

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग  
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना।  
-:: कार्यालय आदेश ::-

का० आ० सं०-1/स्थाप-4039/05-59 पटना-01, दिनांक-03.05.18

बिहार नियोजन लिपिकीय संवर्ग नियमावली-2008 के नियम 11 (4) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत निम्नांकित प्रधान लिपिक को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में आदेश निर्गमन की तिथि से बिहार नियोजन लिपिकीय सेवा के अंतर्गत कार्यालय अधीक्षक के पद पर वेतनमान लेवल-7 पर सशर्त औपबंधिक प्रोन्नति दिया जाता है। इनका पदस्थापन कार्यालय अवर प्रादेशिक नियोजनालय पटना होगा।

क्र० सं०	नाम	वरीयता क्रमांक
1	2	3
1	श्री रामेश्वर प्रसाद सिन्हा	60

2. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ कार्यालय अधीक्षक के पद पर योगदान ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा। श्री सिन्हा तत्काल प्रभाव से अवर प्रादेशिक नियोजनालय, पटना में योगदान करेंगे।
3. यह सशर्त औपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस० एल० पी० (सी०) सं०-29770/2015 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

ह०/-  
(के० सेंथिल कुमार)  
निदेशक  
नियोजन एवं प्रशिक्षण  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/स्थाप-4039/05- पटना-01, दिनांक-  
प्रतिलिपि- विशेष सचिव, श्रम संसाधन विभाग/अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग/सभी संबंधित उप निदेशक (नियोजन),/सभी संबंधित सहायक निदेशक (नियोजन),/सभी संबंधित जिला नियोजन पदाधिकारी, एवं श्री रामेश्वर प्रसाद सिन्हा, प्रधान लिपिक, जिला नियोजनालय, बेगुसराय (विशेष सचिव के कोषांग में प्रतिनियुक्त) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह०/-  
निदेशक  
नियोजन एवं प्रशिक्षण  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/स्थाप-4039/05- पटना-01, दिनांक-  
प्रतिलिपि- संबंधित जिला कोषागार/कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह०/-  
निदेशक  
नियोजन एवं प्रशिक्षण  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/स्थाप-4039/05-462 पटना-01, दिनांक-03.05.18  
प्रतिलिपि- आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने संबंधी कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

ह०/-  
निदेशक  
नियोजन एवं प्रशिक्षण  
बिहार, पटना।